कार्यालय संचालक, संपदा संचालनालय, भोपाल

(लिंक रोड नं. 3, एकांत पार्क के पास, चार इमली)

Website : www.mpsampada.in & E-mail : directorsampada@gmail.com

Telefax No.0755-2463053

विभागीय वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2015–16

भोपाल में विभिन्न श्रेणियों के लगभग 11202 शासकीय आवासों का आवंटन एवं प्रबंधन संपदा संचालनालय द्वारा किया जाता है। भवनों का विवरण निम्नानुसार है :–

बी श्रेणी	105	शासकीय आवास
सी श्रेणी	61	शासकीय आवास
डी श्रेणी	255	शासकीय आवास
ई श्रेणी	483	शासकीय आवास
एफ श्रेणी	1981	शासकीय आवास
जी श्रेणी	3649	शासकीय आवास
एच श्रेणी	2159	शासकीय आवास
आई श्रेणी	2509	शासकीय आवास
कुल योग	11202	शासकीय आवास

वर्तमान में 'भोपाल स्थित शासकीय आवास आवंटन नियम, 2000' (संशोधित 04.10.2013) प्रभावशील है, जिसके अन्तर्गत शासकीय आवास आवंटन की कार्यवाही की जाती है एवं मध्यप्रदेश लोक परिसर (बेदखली) अधिनियम, 1974 के अधीन निष्कासन प्रकरण भी संधारित किये जाते हैं। आवासों के आवंटन हेतु सामान्यतः भोपाल में पदस्थापना की वरिष्ठता का क्रम रखा जाता है। 'एफ' श्रेणी के आवासों में पदस्थापना की वरिष्ठता एवं वेतनमान की वरिष्ठता दोनों के अनुसार आवास आवंटित किये जाते हैं। 'एफ' श्रेणी के आवास आवंटन समिति के निर्णय के अनुसार संचालक द्वारा आवंटित किये जाते हैं।

2) 'जी', 'एच' एवं 'आई' श्रेणी के आवासों का आवंटन पूर्णतः भोपाल में पदस्थापना की वरिष्ठता के आधार पर ही किया जाता है और यह वरिष्ठता सूची स्थायी रूप से संधारित होकर संचालनालय की वेबसाइट www.mpsampada.in पर भी प्रदर्शित की गई है।
इन श्रेणियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, निःशक्तजन, गंभीर बीमारी, महिला कोटा (विधवा/तलाकशुदा/अविवाहित) आदि के लिये आरक्षण है। अतः आरक्षित श्रेणियों की वरिष्ठता पृथक–पृथक संधारित की जाती है।

शासकीय आवासों का आवंटन आरक्षण रोस्टर के अनुसार किया जाता है ।

एफ एवं जी श्रेणी तथा एच एवं आई श्रेणी के आवासों हेतु निम्नानुसार आरक्षण लागू है :–

क.	विवरण	एफ / जी श्रेणी प्रतिशत में	एचएवं आई श्रेणी प्रतिशत में
1	अनुसूचित जाति	5	7
2	अनुसूचित जनजाति	5	8
3	अन्य पिछडा वर्ग	8	8
4	महिला वर्ग	5	5
5	मंत्रालय कोटा	7	7
6	विंकलांग कोटा	2	2
7	गंभीर बिमारी कोटा	2	2

3) विधानसभा कोटा अंतर्गत चारो श्रेणी (एफ , जी , एच एवं आई) में प्रत्येक तीन माह में 1–1 आवास आवंटित करने के प्रावधान है ।

4) भौतिक उपलब्धियां :–

वर्ष 2015 में माह जनवरी 2015 से माह सितम्बर 2015 तक विभिन्न श्रेणियों के कुल 1345 आवास आवंटित किये गये, जिसमें एफ श्रेणी के 284, जी श्रेणी के 426, एच श्रेणी के 395 एवं आई श्रेणी के 240 आवास आवंटित किये गये।

5) निष्कासन :–

वर्ष 2015 में माह जनवरी 2015 से सितम्बर 2015 तक सामान्य पूल के विभिन्न श्रेणियों के 143 प्रकरण दर्ज किये गये, जिसमें मध्यप्रदेश लोक परिसर बेदखली अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की जाकर कुल 43 शासकीय आवास रिक्त कराये गये।

6) बजट प्रावधान वर्ष 2015–16 : –

वित्त वर्ष 2015–2016 में शासन से प्राप्त बजट आंवटन की स्थिति निम्नानुसार है। मुख्य शीर्ष मांग संख्या 2216 आवास 80 सामान्य 001 निर्देशन व प्रशासन 5347 संपदा संचालनालय भोपाल आयोज्नेत्तर मद में वर्ष 2015–16 अंतर्गत निम्नानुसार बजट प्राप्त हुआ है:–

लघु शीर्ष	राशि लाख ₹ में
11 वेतन भत्ते	77.71
12 मजदूरी	05.00
21 यात्रा भत्ता	0.60
22 कार्यालय व्यय एवं अन्य	23.86
योग	107.17

7) संपदा संचालनालय हेतु शासनादेश कमांक एफ–1/144/93/दोए(3) दिनांक 28.10.1993 द्वारा पदों का सृजन किया गया है। उक्त पदों को आयुक्त भोपाल संभाग,भोपाल एवं कलेक्टर कार्यालय ,भोपाल अथवा अधिनस्थ कार्यालय के कर्मचारियों से निश्चित समयावधि के लिये भरा जाता है।

पात्र कर्मचारियों को नियमानुसार समयमान वेतनमान प्रदान किया गया है। विभागीय जांच की जानकारी निरंक है।

8) आवास आवंटन एवं लेखा संधारण की प्रक्रिया का पूर्ण ऑटोमेशन किया जा रहा है। जिसके तहत् वेबबेस्ड साफ्टवेयर में आवेदन पत्र देने व आवास आवंटन किये जाने की आनलाईन व्यवस्था की गई है। संपदा संचालनालय द्वारा इस दिशा में भोपाल स्थित सभी शासकीय कार्यालयों के डीडीओं को सात दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर **On-line** आवेदन की व्यवस्था करवाई गयी है। आवास आवंटन होने पर ई–मेल / एस.एम.एस. द्वारा आवंटितीयों को आवंटन की सूचना भी दी जा सकेगी । शासकीय आवासों के आवंटन के कार्य को पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिये प्रयास किये गये हैं।

9) भोपाल विकास प्राधिकारण की पुनर्धनत्वीकरण योंजना के अन्तर्गत वर्तमान आवश्यकता के दृष्टिगत साउथ टी.टी.नगर एवं शाहजहॉनाबाद क्षेत्र के शासकीय आवासों को तोड़कर नवीन आवास का निर्माण भोपाल विकास प्राधिकरण (बी.डी.ए) द्वारा किया जाना प्रस्तावित है, जिस हेतु टूटने वाले आवासों को, रिक्त कराकर प्राथमिकता पर अन्य आवास पात्रतानुसार आवंटित किये जा रहें है।

10) वर्तमान में निम्नानुसार पद रिक्त हैं।

1.	सहायक वर्ग दो	– 1 पद
2.	सहायक वर्ग तीन	– 5 पद
3.	सहायक अधीक्षक	– 1 पद
4.	राजस्व निरीक्षक	– 1 पद

संपदा संचालनालय, भोपाल हेतु भर्ती नियम तैयार किया जाकर शासन को अनुमोदनार्थ प्रेषित किया गया है।

कार्यालय संचालक संपदा संचालनालय भोपाल में विगत पांच वर्षो में किसी भी प्रकार की सीधी नियुक्ति प्रदान नहीं की गयी है।

सचांलक
संपदा संचालनालय,भोपाल